न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 438/2023
अनवान : –

1. कृष्णा देवी पत्नी सोहनलाल जाति रेगर निवासी अरड़की हाल ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. सुशील कुमार पुत्र सोहनलाल जाति रेगर निवासी अरड़की हाल ऐलनाबाद जिला सिरसा।

–वादीगण

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– प्रतिवादी

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र गोदारा अधिवक्ता **वादीगण**
पेरोकार राज

निर्णय **दिनांक: 26.09.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादीगण ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की वादीगगण खातेदारी कृषि भूमि रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता संख्या 158/150 के खसरा नं. 106/5 का कुल क्षेत्रफल 3.4020 है0 भूमि में से वादीया संख्या 1 का 1/24 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 7/72 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त भूमि में वादीया संख्या 1 का नाम सिलोचना पत्नी सोहनलाल सा0 देह दर्ज है जबकि वादीया संख्या 1 के आधार कार्ड, राशन कार्ड, अन्य पहचान दस्तावेज में वादीया का नाम कृष्णा देवी पत्नी सोहनलाल निवासी ऐलनाबाद दर्ज है। तथा वादी संख्या 2 का नाम राजस्व रिकार्ड में सचिन पुत्र सोहनलाल सा0 देह दर्ज है जबकि वादी संख्या 2 आधार कार्ड, राशन कार्ड, अन्य पहचान दस्तावेज में नाम सुशील कुमार पुत्र सोहनलाल निवासी ऐलनाबाद दर्ज है। सिलोचना व कृष्णा देवी उक्त दोनो नाम वादीया संख्या 1 के एक ही महिला के नाम है तथा सचिन व सुशील कुमार उक्त दोनो नाम वादी संख्या 2 के एक ही व्यक्ति के नाम है। राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम गलत दर्ज होने के कारण वादीगण के खातेदार हकूकों का हनन होता है तथा वादीगण को विभिन्न सरकारी योजनाओं केसीसी, खाद–बीज व अनुदान आदि नहीं मिल रहा है इसलिए वादीगण राजस्व रिकार्ड में अपना नाम वादीया संख्या 1 का नाम सिलोचना के स्थान पर कृष्णा देवी व वादी संख्या 2 का नाम सचिन के स्थान पर सुशील कुमार दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:54:23 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकार्ड में वादी[illegible] [illegible] प्रतिवादी संख्या 1 को कोई परेशानी नहीं होती है क्योंकि राजस्व रिकार्ड में भी [illegible] कोई हिस्सा कम [illegible] र ना ही कोई हिस्सा ज्यादा होगा।

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई दफा कहा की राजस्व रिकार्ड में वादीगण का नाम सही तस्लीम कर लेवे तो प्रतिवादी संख्या 1 कुछ दिन तक तो आजकल करते रहे अंत मे इंकार हो गये इसलिए यह दावा पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार नोहर द्वारा रिपोर्ट प्रेषित की गई कि पटवारी हल्का रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का नाम सही किया जाना उचित है। वादीगण के नाम के संबंध में बतौर गवाह अतुल कुमारी पुत्री श्री चिमनालाल जाति रेगर निवासी नोहर व पंकज कुमार पुत्र सोहनलाल जाति रेगर निवासी ऐलनाबाद एवं सुनील कुमार रेगर पुत्र श्री रामेश्वरलाल जाति रेगर निवासी नोहर के बयान लिये गये गवाहान ने सशपथ बयान किये की राजस्व रिकार्ड में वादीगण संख्या 1 का नाम सिलोचना पत्नी सोहनलाल व वादीगण संख्या 2 का नाम सचिन पुत्र सोहनलाल दर्ज है जबकि इनके पहचान के दस्तावेजों में वादीगण संख्या 1 का नाम कृष्णा देवी पत्नी सोहनलाल व वादीगण संख्या 2 का नाम सुशील कुमार पुत्र सोहनलाल है। उक्त नाम सही व वास्तविक है।

साक्ष्य वादी में वादीगण के द्वारा शपथ पत्र बाबत मुख्य परीक्षा पेश कर अपने द्वारा प्रस्तुत पेश सभी दस्तावेज सही होना स्वीकार किया गया।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण ने अर्जीदावा के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादीगण का सही नाम कृष्णा देवी पत्नी सोहनलाल व सुशील कुमार पुत्र सोहनलाल है जबकि राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज हो गया जिससे वादी को विभिन्न प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, और वादी अपनी खातेदारी के नियमित उपयोग–उपभोग से वंचित है। वादी के सभी दस्तावेजों यथा आधार कार्ड , पहचान पत्र आदि में वादीगण का नाम कमश कृष्णा देवी पत्नी सोहनलाल व सुशील कुमार पुत्र सोहनलाल ही दर्ज है। अतः मुताबिक वादीगण के सभी दस्तावेजों के आधार पर वादीगण का सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

हमने पक्षकारान को सुना व पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता संख्या 158/150 के खसरा नं. 106/5 का कुल क्षेत्रफल 3.4020 है0 भूमि में से वादीया संख्या 1 का 1/24 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 7/72 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, उक्त खाते में वादीया स0 1 नाम सिलोचना पत्नी सोहनलाल के स्थान पर कृष्णा देवी पत्नी सोहनलाल व वादी स0 2 का नाम सचिन पुत्र सोहनलाल के स्थान पर सुशील कुमार पुत्र सोहनलाल दर्ज करवाना चाहते है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र आदि में वादीया स0 1 का नाम कृष्णा देवी पत्नी सोहनलाल व वादी स0 2 का नाम सुशील कुमार पुत्र सोहनलाल अंकित है। तहसीलदार नोहर, भू0अ0 [illegible] रिपोर्ट में भी वादीगण का नाम सही करने हेतु अभिशंषा की गई है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों, गवाहान के बयान एवं तहसीलदार राजस्व नोहर की रिपोर्ट के आधार पर वाद वादीगण स्वीकार योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:54:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण तहसीलदार नोहर की रिपोर्ट एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं गवाहों के बयान के आधार पर साबित होने के कारण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता संख्या 158/150 के खसरा नं. 106/5 का कुल क्षेत्रफल 3.4020 है0 भूमि में से वादीया संख्या 1 का 1/24 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 7/72 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादीगण का नाम क्रमश सिलोचना पत्नी सोहनलाल व सचिन पुत्र सोहनलाल दर्ज है के स्थान पर वादीगण का नाम क्रमश कृष्णा देवी पत्नी सोहनलाल व सुशील कुमार पुत्र सोहनलाल का का संशोधन किया जाता है। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादीगण क्रमश सिलोचना पत्नी सोहनलाल व सचिन पुत्र सोहनलाल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सिलोचना पत्नी सोहनलाल व सचिन पुत्र सोहनलाल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीगण का नाम क्रमशः सिलोचना पत्नी सोहनलाल व सचिन पुत्र सोहनलाल ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार नोहर को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जावे तथा दाखिल दफ्तर हों एवं उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:54:23 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर०ए०एस०)**

प्रकरण संख्या – 438 / 2023

अनवान : –

1. कृष्णा देवी पत्नी सोहनलाल जाति रेगर निवासी अरड़की हाल ऐलनाबाद जिला सिरसा।
2. सुशील कुमार पुत्र सोहनलाल जाति रेगर निवासी अरड़की हाल ऐलनाबाद जिला सिरसा।

–**वादीगण**

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **प्रतिवादी**

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 438 सन 2023 निर्णय दिनांक 26.09.2023

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र कुमार गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा अरड़की तहसील नोहर के खाता संख्या 158 / 150 के खसरा नं. 106 / 5 का कुल क्षेत्रफल 3.4020 है0 भूमि में से वादीया संख्या 1 का 1 / 24 हिस्सा व वादी संख्या 2 का 7 / 72 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड है, में वादीगण का नाम कमश सिलोचना पत्नी सोहनलाल व सचिन पुत्र सोहनलाल दर्ज है के स्थान पर वादीगण का नाम कमश कृष्णा देवी पत्नी सोहनलाल व सुशील कुमार पुत्र सोहनलाल का का संशोधन किया जाता है। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। यदि किसी किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच वादीगण कमश सिलोचना पत्नी सोहनलाल व सचिन पुत्र सोहनलाल के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सिलोचना पत्नी सोहनलाल व सचिन पुत्र सोहनलाल के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए वादीगण का नाम कमशः सिलोचना पत्नी सोहनलाल व सचिन पुत्र सोहनलाल ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादीगण स्वयं जिम्मेदार होगा।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 26.9.23........... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:54:23 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर